भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2958
उत्तर देने की तारीख- 10/03/2026

कृत्रिम अंग उपकरण का निर्माण

2958. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम अंग और पुनर्वास देखभाल तक लोगों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई गई है/बनाने की योजना है;

(ख) अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए सरकारी सहायताप्राप्त एजेंसियों और संगठनों द्वारा किए गए उपायों सहित क्या उपाय और संस्थागत तंत्र मौजूद हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कृत्रिम अंग सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है और व्यय और आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है

(घ) क्या सरकार ने देश में निर्मित/वितरित कृत्रिम अंग उपकरणों की गुणवत्ता, स्थायित्व और आराम सुनिश्चित करने के लिए मानक/प्रमाणन तंत्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की जिला स्तरीय केंद्रों, सामुदायिक तकनीशियनों और सुदूर-पुनर्वास प्रणालियों के माध्यम से कृत्रिम अंग और पुनर्वास सेवाओं का विकेंद्रीकरण कर पहुंच में सुधार करने की योजना है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं; और
(च) क्या सरकार ने कृत्रिम अंग पुनर्वास कार्यक्रमों के भाग के रूप में फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सामाजिक पुन: एकीकरण सहायता को एकीकृत करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम), 2016 की धारा 24(3) (च)** के तहत सहायक यंत्रों/उपकरणों और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

(i) दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना (एडिप) के तहत पात्र दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं।

(ii) विभाग के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई), एडिप योजना के तहत कृत्रिम अंग लगाने (प्रोस्थेटिक फिटिंग) और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने संबंधी कार्य करता है, ये सेवाएं मूल्यांकन और वितरण शिविरों के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय विपणन केंद्रों और प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्रों (पीएमडी-वाके) के माध्यम से दी जाती हैं।

(iii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत 09 राष्ट्रीय संस्थान पुनर्वास सेवाएं, कृत्रिम अंग लगाने संबंधी (प्रोस्थेटिक फिटिंग), फिजियोथेरेपी और फॉलो-अप सहायता प्रदान करते हैं।

(iv) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), जिसके तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाएं चलाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है, का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक-कार्यात्मक स्तर तक पहुँचने और समाज में समावेशी बनाए रखने में सक्षम बनाना है। डीडीआरएस योजना के तहत आठ मॉडल परियोजनाएं संचालित हैं।

(ग): एडिप योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके तहत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। एडिप योजना के तहत देश भर में प्रत्येक लाभार्थी को उसकी आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रोस्थैटिक उपकरण वितरित किए जाते हैं। एडिप योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान देश भर के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित विभिन्न शिविरों में, जिसमें सभी पीएमडी-वीके शामिल हैं, प्रोस्थैटिक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या और वर्ष-वार किए गए खर्च का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**लाभार्थियों की संख्या**	**उपकरणों का मूल्य (लाख रूपये में)**
वित्त वर्ष 2022-23	3412	469.96
वित्त वर्ष 2023-24	5307	940.70
वित्त वर्ष 2024-25	7403	1169.46

(घ): भारतीय मानक ब्यूरो के चिकित्सा उपकरण और अस्पताल योजना विभाग (एमएचडी) के अंतर्गत, सहायक उत्पाद, पुनर्वास उपकरण, ऑर्थोटिक और प्रोस्थेटिक आइटम प्रकरण संबंधी समिति (एमएचडी 9), प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक उपकरणों पर भारतीय मानकों के निर्धारण में कार्यरत है। एमएचडी 9 प्रकरण संबंधी समिति के दायरे में कृत्रिम अंगों, प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक उपकरणों और पुनर्वास उपकरणों के लिए भारतीय मानकों को तैयार करना शामिल है।

प्रोस्थेटिक उपकरणों (उत्पाद की तकनीकी विशेषताओं और परीक्षण के तरीके) पर लागू मानकों की सूची, जिन्हें एमएचडी 9 प्रकरण संबंधी समिति द्वारा तैयार किया गया है, **अनुबंध-क** पर संलग्न हैं।

इसके अलावा, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के तहत, कृत्रिम अंगों का मूल्यांकन और फिटमेंट भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के साथ पंजीकृत योग्य प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। घुटने से ऊपर (एके) और घुटने से नीचे (बीके) के प्रोस्थेसिस का उत्पादन एलिम्को कानपुर स्थित हाई-एंड प्रोस्थेसिस शॉप (एचईपीएस) में किया जाता है, जहाँ लाभार्थियों को उचित फिटमेंट और गेट ट्रेनिंग (चलने का प्रशिक्षण) भी दिया जाता है।

(ङ): सरकार एलिम्को के माध्यम से प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्रों (पीएमडीवीके) के माध्यम से कृत्रिम अंग (प्रोस्थेटिक) और पुनर्वास सेवाओं तक विकेंद्रीकृत पहुंच को मजबूत कर रही है। ये केंद्र जिला और क्षेत्रीय स्तर के सेवा वितरण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ये केंद्र एडिप योजना के तहत लाभार्थियों के मूल्यांकन, माप, फिटिंग और सहायक उपकरणों के वितरण की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे सुगम्यता में सुधार होता है। वर्तमान में, एलिम्को के देश भर में 100 पीएमडी-वीके संचालित हैं, जो व्यापक पहुंच और 'अंतिम छोर तक सेवा वितरण' (लास्ट- माइल सर्विस डिलेवरी) की सुविधा प्रदान करते हैं।

(च): 9 में से 03 राष्ट्रीय संस्थान, जो मुख्य रूप से गतिविषयक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अर्थात् स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक; राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगता संस्थान (एनआईएलडी), कोलकाता; और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), दिल्ली, एक बहु-विषयक एप्रोच के माध्यम से व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, और दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों का वितरण शामिल है।

*****

अनुबंध-क

"कृत्रिम अंग के निर्माण" के संबंध में दिनांक 10.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2958 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कृत्रिम अंगों (प्रोस्थेटिक) के उपकरणों पर मानकों का विवरण				
क्र.सं.	**आईएस सं.**	**शीर्षक**	**मानक का प्रकार**	**संक्षिप्त विवरण**
1.	IS 17034 : 2018	जयपुर फुट के लिए तकनीकी विशेषताएं	उत्पाद के विनिर्देश	यह मानक सिस्टम (कृत्रिम अंग प्रणाली) के एक भाग के रूप में उपयोग किए जाने वाले जयपुर फुट के आयामों और अन्य आवश्यकताओं को कवर करता है।
2.	IS / ISO 22523 : 2006	एक्सटर्नल लिम्ब प्रोस्थेसिस और एक्सटर्नल ऑर्थोसिस - जरूरत और जांच के तरीके	उत्पाद के विनिर्देश	यह मानक बाहरी अंग प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग) और बाहरी ऑर्थोसिस के लिए आवश्यकताओं और परीक्षण विधियों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें ISO 9999 के निम्नलिखित वर्गीकरण शामिल हैं: • (06 03 - 06 15): ऑर्थोसिस (Orthoses) • (06 18 - 06 27): अंग प्रोस्थेसिस (Limb prostheses) यह घटकों (components) और घटकों के संयोजन (assemblies) दोनों के उपयोग की सामान्य स्थितियों से जुड़ी शक्ति, सामग्री, उपयोग पर प्रतिबंध, जोखिम और जानकारी के प्रावधान को कवर करता है।
3.	IS / ISO 22675: 2016	प्रोस्थेटिक्स (कृत्रिम अंग) – टखने-पैर की इकाइयों का परीक्षण - आवश्यकताएँ और परीक्षण विधियां	उत्पाद के विनिर्देश	यह मानक बाहरी निचले अंग प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग) के टखने-पैर के उपकरणों (ankle-foot devices) और पैर की इकाइयों (foot units) के लिए एक चक्रीय परीक्षण प्रक्रिया (cyclic test procedure) निर्दिष्ट करता है, जो एड़ी के जमीन पर टिकने (heel strike) से लेकर पंजे के जमीन से उठने (toe-off) तक चलने के पूर्ण 'स्टेंस फेज' की उन भार स्थितियों (loading condition) को वास्तविक रूप से अनुकरण (simulate) करने की क्षमता द्वारा पहचाना जाता है, जो शक्ति, स्थायित्व और सेवा काल जैसी कार्य-निष्पादन आवश्यकताओं के सत्यापन के लिए प्रासंगिक हैं।

4.	IS / 18665 : 2024/ ISO 10328 : 2016	प्रोस्थेटिक्स — निचले अंग के प्रोस्थेसिस का संरचनात्मक परीक्षण – आवश्यकताएं और परीक्षण विधियां	परीक्षण की विधियां	यह मानक निचले अंग के प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग) पर स्थैतिक (static) और साइकलिक (cyclic) शक्ति परीक्षणों की प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है, जो आमतौर पर एक एकल परीक्षण बल के अनुप्रयोग द्वारा मिश्रित लोडिंग (compound loadings) उत्पन्न करते हैं। परीक्षण नमूने में ये मिश्रित भार लोडिंग के उन घटकों के चरम मानों () (peak values) से संबंधित होते हैं जो सामान्यतः चलने की 'स्टेंस फेज' (stance phase) के दौरान अलग-अलग चरणों में उत्पन्न होते हैं।
5.	IS 12664 (Part 1) : 2003	कृत्रिम अंग - निचले अंगों के प्रोस्थेसिस के लिए सैच फुट (SACH foot) : भाग 1 डिज़ाइन और आयाम (प्रथम पुनरीक्षण)	उत्पाद के विनिर्देश	यह मानक SACH foot (सॉलिड एंकल क़शन हील) के निर्माण के लिए आयामों, डिज़ाइन मापदंड़ों और सामग्री आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, जो संबंधित आकारों के मानक ऑक्सफोर्ड प्रकार के ज़ूतों में फिट होने के लिए उपयुक्त है। यह केवल 3 से 11 तक के फुट साइज को कवर करता है।
6.	IS 14723 : 1999	कृत्रिम अंग – 'नी-शिन असेंबली' – विनिर्देश	उत्पाद के विनिर्देश	यह मानक 'नी-शिन असेंबली' (knee shin assembly) की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है, जिसका उपयोग शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा घुटने के जोड़ की गतिशीलता (mobility) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
7.	IS 6812 : 2003	कृत्रिम अंग - घुटने के नीचे के प्रोस्थेसिस के लिए यनीएक्सियल. - 'नी जॉइंट' – विनिर्देश (द्वितीय पुनरीक्षण)	उत्पाद के विनिर्देश	यह मानक घुटने से नीचे के प्रोस्थेसिस (कृत्रिम अंग) के लिए यूनीएक्सियल नी जॉइंट (uniaxial knee joint) सामान्य आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।

*****